

प्रेषक,

जीवन सिंह,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

कार्यालय अभियन्ता अभियन्ता
स्वीय कार्यालय पियौरागढ़
225
23/2/019
12/10

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक 22 फरवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता(पि०क्ष०), लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 7.5 कि०मी० एवं लागत ₹ 152.36 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 152.36 लाख (₹ एक करोड़ बावन लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

अधिश्रावण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) — स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) — वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.00 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या:- S1902220361 दिनांक 22 फरवरी, 2019 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-889/XXVII(2)/2018 दिनांक 21 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

संख्या-895/111(2)/19-44(एम0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता(पि0क्षे0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 895/111(2)/19-44(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2019 का संलग्नक

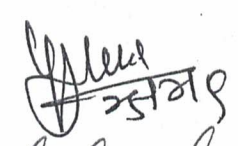
क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख ₹ में) चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड मरसोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	138.80	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत उर्ग से कैलागड मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	13.56	0.10
कुल :-		7.50	152.36	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

D.N. 725/111(2)/19-44(एम0एल0ए0)/2017 दि. 26/2/2019

प्रति श्री पिथौरागढ़ जिलाधिकारी उक्त/पिथौरागढ़/भारत
कार्य विभाग (एन) को सूचित एवं जानकारी
कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पिथौरागढ़ जिला
23/2/2019